UPMI010038642022

<u>बालक न्यायालय/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), मिर्जापुर।</u>

उपस्थितः–**श्री संतोष कुमार त्रिपाठी** (एच0जे0एस0)
दाण्डिक अपील संख्या–61 सन् 2022

अपील हिमॉशु उर्फ राहुल शर्मा बाल अपचारी पुत्र कल्लू उर्फ सुरेन्द्र शर्मा, निवासी ददरा, राजगढ़, थाना–मड़िहान, जिला–मिर्जापुर बजरिये हकीकी पिता कल्लू शर्मा उर्फ सुरेन्द्र शर्मा, निवासी ददरा, थाना–मड़िहान, जिला–मिर्जापुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

.....उत्तरदाता

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत अपील अपचारी हिमॉशु उर्फ राहुल शर्मा की ओर से धारा–101 एवं 12 किशोर न्याय एवं बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत राज्य बनाम हिमॉशु उर्फ राहुल शर्मा मु0अ0सं0–161/21, धारा–147, 186, 323, 332, 353, 506 भा0दं0सं0 थाना–मड़िहान, जिला–मिर्जापुर के अपराध में माननीय किशोर न्याय बोर्ड, मिर्जापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–10–2022 के विरूद्ध संस्थित की गयी है।

अभियोजन कथानक यह है कि वादी/हे0का0 धनन्जय राय, चौकी राजगढ़, थाना–मड़िहान, जिला–मिर्जापुर में नियुक्त था। दिनांक 22–09–2021 को समय करीब 2.00 बजे दिन की घटना है। मेरी डियूटी पंचायत भवन ददरा कोटा चुनाव ड्यूटी लगी हुई थी, साथ में हे0का0 प्रभूनाथ शर्मा, हे0का0 अविनाश सिंह, हे0का0 राजकुमार सिंह तैनाती चौकी राजगढ़ की डियूटी भी उपरोक्त कोटा चुनाव डियूटी में लगी थी। सूचना मिली की ददरा बाजार में गोली चल गयी है। उस सूचना पर हम सभी मुख्य आरक्षी ददरा बाजार पहॅुचे तो ज्ञात हुआ कि सत्यम् पटेल, निवासी ददरा को रिषभ पाण्डेय, निवासी करौंदा ने गोली मार दिया है। सत्यम् पटेल को स्थानीय लोग

सी0एच0सी0 राजगढ़ लेकर चले गये हैं। मौके पर काफी भीड–भाड़ थी इतने में देखा गया कि एक व्यक्ति को काफी संख्या में लोग दौड़ा रहे हैं, और मारने–पीटने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तेजीत भीड़ में हम पुलिस वाले घुसकर उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास किए लेकिन उत्तेजित भीड़ हम पुलिस वालों पर ही आक्रामक होकर टूट पड़ी तथा हम पुलिस वालों से मार–पीट करने लगी, और आक्रामक भीड़ जोर–जोर से चिल्ला रही थी कि सत्यम् पटेल को गोली मारने वाले रिषभ पाण्डेय को हम नहीं छोड़ेगें, और जो भी उसको बचाने का प्रयास करेगा, उसका भी हाल बुरा कर देंगे, फिर हम पुलिस वालों ने अथक प्रयास साहस करते हुए भीड़ को तितर–बीतर करते हुए भीड़ द्वारा पीटे जा रहे व्यक्ति को किसी प्रकार भीड़ के बीच से निकालकर गम्भीर रूप से घायल अवस्था में सी0एच0सी0 मड़िहान के लिए चल दिए इस दौरान अन्य पुलिस बल व उच्चाधिकारीगण भी मौके पर आ गये थे। सी0एच0सी0 मड़िहान पहॅुचने पर डाक्टर ने भीड़ द्वारा मारे–पीटे गये व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जनता के व्यक्तियों से ज्ञात हुआ कि भीड़–भाड़ द्वारा पीटे गये व्यक्ति का नाम रिषभ पाण्डेय था, जिसने सत्यम् पटेल को गोली मारा था। उक्त रिषभ पाण्डेय को बचाने में हम पुलिस कर्मियों को काफी चोटें आयी हैं, तथा हमारी वर्दी भी फट गयी है। उपद्रवी भीड़ की संख्या 200 से 250 सौ की थी। अतः श्रीमान् जी सूचना दे रहा हूॅ, आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

अपील में आधार में आधार यह लिया गया है कि–माननीय मातहत अदालत द्वारा दिनांक 07–10–2022 को अपीलार्थी/बाल अपचारी की जमानत वगैर किसी आधार के, वगैर सोचे–समझे विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त कर दी गयी है। माननीय मातहत अदालत द्वारा आदेश पारित करते समय आवश्यक कानूनी प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रार्थी का यह श्रीमान् जी के यहॉ प्रथम अपील/जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई भी अपील जमानत प्रार्थना–पत्र श्रीमान् जी के न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है, न ही खारिज हुयी है। प्रार्थी/अपीलार्थी की जमानत प्रार्थना–पत्र अवर न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड, मिर्जापुर मिस0 नं0–123/22 मु0अ0सं0–161 सन् 2021 अन्तर्गत धारा–147, 186, 323, 332, 353, 506 भा0दं0सं0, थाना–मड़िहान, मिर्जापुर में दिनांक 07–10–2022 को खारिज कर दिया गया है। प्रार्थी दिनांक 16–06–2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी को न्यायालय प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, मिर्जापुर द्वारा दिनांक 29–09–2022 को बाल अपचारी घोषित कर दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में हम प्रार्थी का नाम नहीं है। दौरान विवेचना वगैर किसी आधार, वगैर

किसी सबूत के अभियुक्त बना दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 22–09–2021 को समय 2.00 बजे पुलिस अपने साथियों के साथ पंचायत भवन ददरा कोटा चुनाव में डियूटी लगी थी। प्रथम सूचना के अनुसार दौरान डियूटी हम पुलिस वालों को सूचना मिली कि ददरा बाजार में गोली चल गयी है, उस सूचना हम सभी पुलिस वाले ददरा बाजार पहुॅचे, तो ज्ञात हुआ कि सत्यम् पटेल को रिषभ पाण्डेय ने गोली मार दिया है। मौके पर काफी भीड़–भाड़ थी, इतने में देखा गया कि एक व्यक्ति को काफी संख्या में लोग दौड़ा रहे हैं, और मारने–पीटने का प्रयास कर रहे हैं, उत्तेजित भीड़ में हम पुलिस वाले घुसकर उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास किये लेकिन उत्तेजित भीड़ हम पुलिस वालों पर ही आक्रामक होकर टूट पड़ी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार भीड़–भाड़ से रिषभ पाण्डेय को बचाने में हम पुलिस वालों को काफी चोटें आयी है, तथा हमारी वर्दी भी फट गयी है, उपद्रवी भीड़ की संख्या–200 से 250 की थी। प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष व बेगुनाह है, और कोई भी जुर्म नहीं किया है, महज रंजिश के कारण बिल्कुल गलत तौर पर बिना किसी आधार के वगैर किसी सबूत के दौरान विवेचना प्रार्थी को अभियुक्त बना दिया गया है। उपरोक्त मुकदमें में कोई भी स्वतंत्र व निष्पक्ष गवाह नहीं है। मुकदमा काफी विलम्ब से दर्ज कराया गया है, और विलम्ब का कोई भी कारण नहीं बताया गया है। मुकदमें के गवाहों के बयान व प्रथम सूचना रिपोर्ट में काफी भिन्नता है। प्रार्थी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी सम्भ्रान्त परिवार का व्यक्ति है, और प्रार्थी अपना शारीरिक व मानसिक व सामाजिक प्रतिष्ठा का ध्यान रखेगा। मुकदमा के सह–अभियुक्त विनोद कुमार उर्फ गोलू की जमानत माननीय श्रीमान् जी के न्यायालय से दिनांक 21–09–2022 को हो चुकी है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी को उचित जमानत मुचलिका पर रिहा किया जाय।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में न तो प्रार्थी को अभियुक्त बनाया गया है, और न ही उक्त तथाकथित घटना अपराध में प्रार्थी शामिल ही था। मात्र विधि विरूद्ध तरीके से उसका नाम प्रकाश में लाकर अपचारी को न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया है, जो अपचारी के मौलिक अधिकारों का हनन है। विद्धान अवर न्यायालय द्धारा उक्त मामले में अपचारी के जमानत प्रार्थना–पत्र को निरस्त करते हुए दिनांकी 07–10–2022 में निम्न बातों का उल्लेख किया है कि यदि अपचारी को जमानत पर छोड़ जाता है, तो उसके शारीरिक, मानसिक व नैतिक खतरे में पड़ने की पूर्ण सम्भावना है, तथा उसके ऊपर पारिवारिक नियंत्रण के अभाव के कारण उसके किन्हीं अन्य ज्ञात अपराधियों के सम्पर्क में आने की भी पूर्ण सम्भावना है। बालक पर प्रस्तुत मुकदमें में पुलिस बल पर

हमला करके चोट पहुॅचाने तथा उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। प्रार्थी को किशोर न्याय बोर्ड, मिर्जापुर द्वारा दिनांक 29–09–2022 को अपचारी घोषित किया गया है। बावजूद उक्त प्रार्थना–पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रार्थी को घर से गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। अतएव श्रीमान् जी से सविनय प्रार्थना है कि प्रार्थी/अपचारी के द्वारा प्रस्तुत अपील/जमानत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किये जाने की कृपा की जाय।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना, तथा तलविदा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि बाल अपचारी हिमॉशु उर्फ राहुल शर्मा को फर्जी प्रस्तुत मामले में फंसाया गया है। मामले में कुल 200–250 व्यक्ति नाम, पता अज्ञात के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। पुलिस वालों द्वारा फर्जी किशोर अपचारी को फंसाया गया है।

विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। किशोर अपचारी की पृष्ठभूमि ऐसी है कि उसे यदि जमानत पर छोड़ा गया, तो उसके नैतिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षरण होने की सम्भावना है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं है। अतः अपील खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

उभय पक्षों के तर्कों के प्रकाश में मेरे द्वारा तलविदा पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 07–10–2022 को किशोर अपचारी का जमानत प्रार्थना–पत्र बालक पर पारिवारिक नियंत्रण का अभाव, तथा उसके द्वारा किये गये कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए खारिज किया गया है।

धारा–12 किशोर देखभाल संरक्षण अधिनियम जमानतीय या अजमानतीय अपराध के सम्बन्ध में दं0प्र0सं0 1973 में यह व्यवस्था दी गयी है कि तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी अन्य प्राविधान के होते हुए भी बालक को प्रतिभू सहित या रहित जमानत पर रिहा कर दिया जायेगा, जब तक कि इस आशंका का पर्याप्त आधार न हो कि ऐसे उन्मुक्त किये जाने से वह किसी ज्ञात अपराधी के सम्पर्क में आ जायेगा, या जिसके कारण उसके नैतिक, शारीरिक या मनौवैज्ञानिक खतरे में पड़ने की सम्भावना हो, या न्याय का उद्देश्य विफल जायेगा। इस प्रकार धारा–12 के अनुसार किशोर अपचारी की जमानत धारा–12 में वर्णित परिस्थितयों में ही खारिज किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत मामले डी0पी0ओ0 द्वारा प्रेषित आख्या में किशोर अपचारी को कक्षा–9 पास होना, तथा उसके पिता मजदूरी/नाई का कार्य करते हैं, तथा माता को गृहिणी होना बताया गया है। पास–पड़ोस के लोगों में इसका व्यवहार सामान्य बताया गया है। केश डायरी के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में 200–250 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी है। घटनास्थल पर 200–250 आदमी का इकट्ठा होना बताया गया है, तथा चुनाव के दौरान ऋषभ पाण्डेय द्वारा सत्यम् पटेल को गोली मारने के कारण घटनास्थल पर इकट्ठा हुई भीड़ के द्वारा पुलिस बल द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस बल पर हमला करने का आरोप है। किशोर अपचारी दिनांक 16–06–2022 से बाल संरक्षण गृह में निरूद्ध है। किशोर अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा घटना की तिथि को 13 वर्ष 07 माह 10 दिन पाते हुए किशोर अपचारी घोषित किया गया है। गॉव व पड़ोस में बालक व उनके परिवार का व्यवहार सामान्य है। बालक के पिता मजदूरी/नाई का कार्य करते हैं। किशोर अपचारी की एक बहन हैं, किशोर अपचारी अपने परिवार में अकेला लड़का है। डी0पी0ओ0 रिपोर्ट के अनुसार किशोर अपचारी बाल काटने का कार्य करता है। किशोर अपचारी बहुत ही सरल स्वभाव का बालक है, ऐसा उसके पड़ोसियों ने बताया है। भविष्य को देखते हुए माता–पिता के संरक्षण में देना ही बालक के हित में होगा। प्रस्तुत मामले में किशोर अपचारी अनूप कुमार उर्फ अप्पू की अपील आज ही स्वीकार की गयी है। ऐसी स्थिति में मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना मेरी राय में प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायपीठ मिर्जापुर को आदेशित किया जाता है कि वह अपचारी हिमांशु उर्फ राहुल शर्मा के पिता कल्लू उर्फ सुरेन्द्र शर्मा से मु0–30,000/–रू0 का स्वबन्ध–पत्र एवं उतने ही धनराशि की दो प्रतिभू निष्पादित करने पर अपचारी हिमॉशु उर्फ राहुल शर्मा को उसके पिता की सुपुर्दगी में बाद सत्यापन रिहा किया जाय।

दिनांक–28.10.2022

(संतोष कुमार त्रिपाठी)
जे0ओ0कोड नं0–2733
बालक न्यायालय/
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/
मिर्जापुर।

आज निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित होकर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–28.10.2022

(संतोष कुमार त्रिपाठी)
जे0ओ0कोड नं0–2733
बालक न्यायालय/
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/
मिर्जापुर।